प्रेषक,

अतिमहत्वपूर्ण/परीक्षा/ध्यानाकर्षण।

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/अनु0–4/जून परी0/2024/1840 लखनऊः दिनांकः– 15/06/2024

विषयः सम सेमेस्टर/वार्षिक/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून–2024 हेतु निर्धारित परीक्षा की सूचना विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 14.06.2024 को लिये गये निर्णय के कम में परिषद की सम सेमेस्टर/वार्षिक/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून–2024 की फार्मेसी पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाएं दिनांक 22.06.2024 से 30.06.2024 के मध्य एवं सम सेमेस्टर/बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा दिनांक 01.07.2024 से 26.07.2024 के मध्य प्रदेश के कुल 187 राजकीय पालीटेक्निक, अनुदानित पालीटेक्निक, एवं राजकीय इण्टर कालेज, परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा होना सुनिश्चित है। परीक्षा केन्द्रों की सूची संलग्न है।

उक्त के संबंध में परिषद की वेबसाइट **www.bteup.ac.in** पर उपलब्ध अद्यतन परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें, परीक्षा केन्द्रों की सूची परिषद वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त के कम में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, परीक्षा से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं/तैयारियां समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाये, जिससे परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर शुचितापूर्ण एवं सूचारू रूप से समयान्तर्गत सम्पन्न करायी जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/अनु0–4/जून परी0/2024/1841-45 तद्दिनांक– 15/06/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र दौराला मेरठ।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी/अधिकारी, अनुभाग–01, 02 एवं 03 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव